प्रकरण संख्या–06 / 18 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

वकील प्रार्थीगण–श्री निखिल सोमपुरा
वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 22–श्री अनिरूद्वसिंह चुण्डावत (एक तरफा कार्यवाही)
अप्रार्थी संख्या 23 – श्री सरकार पैरोकार

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्त करने अन्तर्गत
धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गॉव गामडा ब्राह्मणिया के निवासी है। प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भुमि मौजा गामडा ब्राह्मणिया मे खाता संख्या 582 / 581 खसरा नम्बर 284 रकब 5 बिघा 1 बिस्वा की स्थित है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने बाप–दादाओ के समय से मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु मिट्टी निकालने के रूप मे करते आ रहै है। सेटलमेन्ट सम्वत् 2022 तक प्रार्थीगण के पिता एव दादा कचरू का नाम जमाबन्दी मे दर्ज रेकार्ड था। सेटलमेन्ट के समय कचरू के पुत्र कुरीया को छोड शेष प्रार्थीगण एव उनके पूर्वजो के नाम सेवन से त्रुटी वस जूडने रह गए और कुरीया की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण के नाम जुडना रह केवल अप्रार्थीगण 1 से 22 तक नाम ही विरासती नामान्तरण दर्ज हुआ। सेंटलमेन्ट के समय त्रुटी से कचरू एव कुरीया के नाम व उनके वारीसानो के नाम जुडना रह गया जिससे सुधार किया जा प्रार्थीगण का उक्त खाते मे अमल दरामद किया जा नाम दर्ज रेकार्ड किया जावे का निवेदन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश किया गया जिसमे औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उसे खारीज किए जाने निवेदन किया गया। दिनाक 01.07.2019 के अप्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण के वकिल की अनुउपस्थिति मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली जाकर तनकीयात् कायम की गई। प्रार्थीगण की और से साक्ष्य हेतु प्रार्थी मानजी,बालकृष्ण,गौतम का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थी भुरा पिता कुरीया के बयानो को लेखबद्व कराते हुए दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 5 तक प्रदर्शित करवाये जा साक्ष्य प्रार्थी बन्द कि गई।

प्रकरण संख्या–06 / 18 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

पत्रावली मे एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थीगण वकील के द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्या को दौहराते हुए दस्तावेजो की और न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए अशुद्वि को सुधार कर शुद्वि किये जाने निवेदन किया प्रार्थीगण के वकील की बहस समायत की गई अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया एव विद्वान अभिभाषक के तथ्यो पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड प्रदर्श 1 से प्रदर्श 5 तक का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार मौजा गामडा ब्राह्मणिया के खाता संख्या 582 / 581 खसरा नम्बर 284 रकब 5 बिघा 1 बिस्वा मे प्रार्थीगण के नामो की अशुद्वि हुई हैं जिसे सुधार किया जाना न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण का नाम मौजा गामडा ब्राह्मणिया के खाता संख्या 582 / 581 खसरा नम्बर 284 रकब 5 बिघा 1 बिस्वा मे दर्ज किया जावै। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी 23 को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 9-9-2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा